संख्या:31/2022/1363565/12-2099/86/2021

प्रेषक,

ऋषिरेन्द्र कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनॉक: 22 अप्रैल, 2022

विषय: कृषकों को किफायती मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अनुदानित उर्वरकों का गैर कृषि कार्यो/औद्योगिक इकाईयों द्वारा उपयोग को रोकने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर सचिव, भारत सरकार, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, उर्वरक विभाग, नई दिल्ली के संलग्न अर्द्धशासकीय पत्र संख्या: 2/जेएस(पीएस)/2021-एफएम, दिनॉक 13 अप्रैल, 2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। ज्ञातव्य है कि भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा कृषकों को किफायती मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता है। वर्तमान में अनुदानित यूरिया एवं गैर-अनुदानित यूरिया के मूल्यों में अत्यधिक अन्तर है।

2. शासन के संज्ञान में यह आया है कि विभिन्न औद्योगिक इकाईयों द्वारा अनुदानित यूरिया का गैर-कृषि कार्यो/औद्योगिक कार्यो में उपयोग किया जा रहा है। अनुदानित यूरिया का गैर -कृषि कार्यो/औद्योगिक इकाईयों द्वारा उपयोग को कड़ाई से रोकने के उद्देश्य से भारत सरकार की टीम द्वारा चिन्हित औद्योगिक इकाईयों का निरीक्षण कर आवश्यक वस्तुअधिनियम, 1955 के अन्तर्गत उनके विरूद्ध कठोर कार्यवाही किया जाना निकट भविष्य में प्रस्तावित है।

3. प्रकरण में अनुरोध है कि रसायन और उर्वरक मंत्रालय, उर्वरक विभाग, भारत सरकार की टीम को अपने जनपद में भ्रमण/निरीक्षण के समय समस्त आवश्यक व्यवस्था (पुलिस फोर्स एवं प्रशासनिक व्यवस्था) सुनिश्चित कराते हुए ऐसी औद्योगिक इकाईयॉ, जो अनुदानित यूरिया का उपयोग कर रही हैं; के विरूद्ध कठोर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

(ऋषिरेन्द्र कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या:31/2022/1363565(1)/12-2099/86/2021, तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, भारत सरकार, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, उर्वरक विभाग, नई दिल्ली को उनके उक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 13 अप्रैल, 2022 के सन्दर्भ में।
2. प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. समस्त संयुक्त कृषि निदेशक/उप कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,

(ऋषिरेन्द्र कुमार)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।